

राजस्थान सरकार

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला-बाड़मेर

दीपाराम पुत्र लिच्छाराम
जाति मेघवाल निवासी
आलीसरों की बस्ती
तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

1. उमेदी पत्नी पोकरराम
2. गिरधारी पुत्र भोजा
3. पोकरराम पुत्र लिच्छाराम
4. भगवाना पुत्र आईदानराम
5. मागाराम पुत्र आईदानराम
6. रामूदेवी पत्नी दीपाराम
7. वीजाराम पुत्र आईदानराम
8. सोनाराम पुत्र आईदानराम
9. हीराराम पुत्र देदाराम जातियान मेघवाल निवासीगण आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
10. एस.बी.आई. बैंक शाखा प्रबंधक सेड़वा।
11. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न.....129...../2025

21/05/25 किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न.....129...../2025
प्राथी दीपाराम पुत्र लिच्छाराम जाति मेघवाल निवासी आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 647 के खसरा संख्या 262 रकबा 3-0351 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मौजा आलीसरों की बस्ती के खाता संख्या नया 37 खसरा संख्या 264 रकबा 5-5927 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खाता संख्या नया 67 के खसरा संख्या 508/298 रकबा 4-0469 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्राथी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्राथी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्राथी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्राथी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 647 के खसरा संख्या 262 रकबा 3-0351 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मौजा आलीसरों की बस्ती के खाता संख्या नया 37 खसरा संख्या 264 रकबा 5-5927 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खाता संख्या नया 67 के खसरा संख्या 508/298 रकबा 4-0469 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम से प्राथी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्राथी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्राथी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्राथी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करें। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 21/06/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

21/06/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगज
कार्यों में व्यस्त हैं, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिका अनुसार आईन्दा दिनांक 29/07/25
को पेश हो।



21/07/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षी वकील उपस्थित।
पक्षी स्वयं उपस्थित। चूंकि मूखवाद को
जिसे शर्तनामा विरोध किया जा चुका है वो
उस आवदन को अपने चलाने का कार्य
भंगित्य नहीं है। अतः उस आवदन की
कार्यवाही इसी रूप पर समाप्त की जाती है।
पत्रावली कैमल कुमार होकर मूखवाद के
संलग्न हो। ✕